25.10.19 पत्रावली पेश हुई। वादी के वकील उपस्थित। प्रतिवादी के वकील उपस्थित। जवाब के लिए 4.12.19 की पेश हो।

4/12/19 बजुबाद परिवर्तन उपस्थित अग्रत हेतु समय लेने प्रार्थना की जवाब दिनांक 15/1/20 को पेश हो।

15.1.20 पत्रावली पेश हुई। वादी के वकील उपस्थित नहीं और ना ही वादी स्वयं उपस्थित। बार-2 आवाज लगाई गई उसके बावजूद ना ही तो वादी और ना ही वादी के वकील उपस्थित आये। अतः प्रा.पत्र वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ता से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बोहर